

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड राँची।

आरोप पत्रित सरकारी सेवकों की सूची माह अप्रैल-2016 तक

| क्र० सं० | निगरानी थाना काण्ड संख्या, तिथि एवं धारा | संबंधित विभाग | अभियुक्तों का नाम एवं पदनाम |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | निगरानी थाना काण्ड सं०-11/16, दिनांक-01.02.2016, धारा-07/ 13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी), भ०नि० अधि०-1988 | राजस्व विभाग ट्रेप केस। 6,000/- | प्राथमिकी अभियुक्त अर्जुन राम (उम्र-53 वर्ष), पिता-स्व० रामजतन राम, सा०-कवलपुरा, थाना-मोहम्मदगंज, जिला-पलामू। वर्तमान राजस्व कर्मचारी, विश्रामपुर अंचल, जिला-पलामू। आरोप पत्र सं०-29/16, दिनांक-13.04.2016 |
| 2 | निगरानी थाना काण्ड सं०-71/15, दिनांक-08.12.2015, धारा-406/420/120 (बी०) भा०द०वि० धारा-13(1) (डी), भ०नि० अधि०-1988 | निगरानी ब्यूरो परिवाद आई०आर०सं०-05/15, दिनांक-16.11.2015 के जाँचोंपरांत आपसी मिलीभगत कर सरकार द्वारा दी गयी मुआवजा राशि का भुगतान करने में अपने पद के दुरुपयोग कर अनुचित लाभ उठाने के आरोप में दर्ज किया गया है। | 1. श्री नववेश कुमार, पिता-सुरेश प्रसाद, मोहल्ला- सुन्दर नगर, कोडरमा, वार्ड नं०-05, थाना+जिला- कोडरमा, सम्प्रति तत्कालीन नाजीर, भू-अर्जन पदाधिकारी का कार्यालय, जिला-कोडरमा। 2. श्री दिलीप कुमार मजुमदार, पिता-भूतनाथ मजुमदार, सा०-सामन्तों काली मंदिर के पीछे तिलैया, पो०-थाना- तिलैया, जिला-कोडरमा। सम्प्रति मुख्य प्रबंधक-सह-शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, शाखा-कोडरमा एवं उस बैंक के कर्मचारी, जिला-कोडरमा। क्रमांक-01 एवं 02 पर आरोप पत्र सं०-31/16, दिनांक-23.04.2016 |
| 3 | निगरानी थाना कांड सं०-13/16, दिनांक-15.02.16 धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी) भ०नि० अधि०-1988 | <u>उर्जा विभाग।</u> ट्रेप केस। 20,000/- | सत्येन्द्र कुमार दास, पिता-स्व० प्रीतम रविदास सा०+पोस्ट-पोखरियावा, थाना- कटकमदाग, जिला -हजारीबाग, वर्तमान - राजस्व कर्मचारी, डाड़ी अंचल, जिला-हजारीबाग। आरोप पत्र सं०-27/16 दिनांक-07.04.16 |
| 4 | निग० था० कां० सं० 02/11 दि०-20.01.11 धारा-409/420/467/468/471/477ए/120 बी भा०द०वि० एवं 13(1)(सी) (डी) भ०नि०अधि० 1988 | विद्युत विभाग, जमशेदपुर के A.P.D.R.P. प्रोजेक्ट के पाइकेज-'D' के अन्तर्गत जे०एस०ई०बी० के पदाधिकारियों एवं मेसर्स R.P.C.L. के द्वारा किये गये कार्यों में बरती गई अनियमितता एवं किये गये कार्य से 9,05,87,073/- रूपया भुगतान कर सरकारी राशि का दुर्बिनियोग करने के आरोप में कांड दर्ज है। (2005 से अबतक) | 1. अप्राथमिकी अभियुक्त 1. बृज मोहन वर्मा, जे०एस०ई०बी० के तत्कालीन अध्यक्ष, पिता-स्व० विलायती राम, पता-सी०/275, शेख सराय, फेज-01 न्यू दिल्ली-110017 2. संवेदक कम्पनी के प्रबंध निदेशक अशोक कुमार सिंह, पे०-स्व० रामविलास सिंह, पता-कुमार निवास, ब्राइट लेन, कोकर, थाना-सदर, जिला-राँची, स्थाई पता-सा०-चपरा, थाना-कुटुम्बा, जिला-औरंगाबाद, बिहार। आरोप पत्र सं०-28/16 दिनांक-12.04.16 समर्पित की गई है। |
| 5 | निग० था० कां० सं० 49/10 दि०- 06.10.10 धारा 171(बी)120(बी) 34,भ०द०वि० 8/9 भ०नि०अधि० 1988 (सम्प्रति विशेष वाद सं०-66/10) | <u>कला, संस्कृति एवं खेल कूद विभाग।</u> नेशनल गेम्स के अवसर पर खेल संबंधित सामानों की खरीद में अनियमितता। (2004-06.10.10) | 1. श्री मधुकांत पाठ, खजांची, पिता-सुरेन्द्र पाठक, पता- एल०आई०जी० क्वा० नम्बर-आर/204, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची। आरोप पत्र सं०-30/16 दिनांक-16.04.16 |